कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांकः बेसिक/मान्यता/ 33408-411 /2020–21 दिनॉक 18/02/2021

सेवा में,

(कक्षा–06 से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम)

प्रबन्धक
मदर ऐन्थेना स्कूल, बदायूँ।
नगरक्षेत्र–बदायूँ

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972 की धारा–13 की उपधारा–1 के अधीन प्रदत्त अधिकार के अधीन हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके के आवेदन तथा इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मै जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ शासानादेश सं0: 89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ दिनॉक 11.01.2019 एवं संशोधित शासनादेश सं0: 196/अडसठ–3–2020–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनॉक 29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अनतर्गत मान्यता समिति के निर्णय के उपरान्त **प्रबन्धक मदर ऐन्थेना स्कूल, बदायूँ, नगरक्षेत्र–बदायूँ** को दिनॉक 01 अप्रैल 2021 से दिनॉक 31 मार्च 2022 (01 वर्ष) की अवधि के लिये **कक्षा–06 से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिये औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–08 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा प्री–प्राइमरी से कक्षा 08 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण उसको प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

01. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
02. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
03. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी
04. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
05. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
06. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विधिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम आर्हतायें नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आर्हतायें अर्जित करेंगे।
07. अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ठ अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
08. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचरिया के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
08. विद्यालय शासनादेश के बिन्दु सं0–17 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नांनुसार हैं–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	11347.385 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	–	4573.35 वर्ग मी0
कीडास्थल का क्षेत्र	–	प्रांगण
कक्षाओं की संख्या	–	09
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डारागार के लिये कक्ष	–	02
बालक व बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	–	है।
पेयजल सुविधा	–	है।
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई	–	है।
बाधारहित पहुँच	–	है।

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेल–कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता – पर्याप्त।

09. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडास्थल का प्रयोग केबल शिक्षा और कौशन विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन राष्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के आधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिय तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक............/2020–21 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो कि समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें भविष्य में कोई त्रुटि/असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

नोटः– यू–डायस कोड हेतु **www.sdms.udise.in** वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर यू–डायस कोड प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

पृ0सं0: बेसिक/ मान्यता/ /2020–21 दिनॉक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायूँ।
03. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बदायूँ।
04. कार्यालय गठित पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/ 33404-407 /2020–21 दिनॉक 18/02/2021

सेवा में,

(कक्षा–01 से कक्षा 05 तक अंग्रेजी माध्यम)

प्रबन्धक
मदर ऐन्थेना स्कूल, बदायूँ।
नगरक्षेत्र–बदायूँ

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972 की धारा–13 की उपधारा–1 के अधीन प्रदत्त अधिकार के अधीन हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके के आवेदन तथा इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मै जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ शासानादेश सं0: 89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ दिनॉक 11.01.2019 एवं संशोधित शासनादेश सं0: 196/अडसठ–3–2020–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनॉक 29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अनतर्गत मान्यता समिति के निर्णय के उपरान्त **प्रबन्धक मदर ऐन्थेना स्कूल, बदायूँ, नगरक्षेत्र–बदायूँ** को दिनॉक 01 अप्रैल 2021 से दिनॉक 31 मार्च 2022 (01 वर्ष) की अवधि के लिये **कक्षा–01 से कक्षा 05 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिये औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–08 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा प्री–प्राइमरी से कक्षा 08 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण उसको प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

01. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
02. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
03. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी
04. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
05. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
06. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विधिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम आर्हतायें नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आर्हतायें अर्जित करेंगे।
07. अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ठ अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
08. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचरिया के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
08. विद्यालय शासनादेश के बिन्दु सं0–17 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नांनुसार हैं–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—	11347.385 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	—	4573.35 वर्ग मी0
कीडास्थल का क्षेत्र	—	प्रांगण
कक्षाओं की संख्या	—	12
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डारागार के लिये कक्ष	—	02
बालक व बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	—	है।
पेयजल सुविधा	—	है।
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई	—	है।
बाधारहित पहुँच	—	है।

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेल–कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता – पर्याप्त।

09. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडास्थल का प्रयोग केबल शिक्षा और कौशन विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन राष्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के आधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिय तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक............/2020–21 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो कि समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें भविष्य में कोई त्रुटि/असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

नोटः– यू–डायस कोड हेतु **www.sdms.udise.in** वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर यू–डायस कोड प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

पृ0सं0: बेसिक/ मान्यता/ /2020–21 दिनॉक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायूँ।
03. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बदायूँ।
04. कार्यालय गठित पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।